संख्या- 1229/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, ,
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2024

विषय- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु एटीएस/स्पॉट की आपात सेवाओं के सुदृढीकरण करने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से उपकरणों/संसाधनों के क्रय हेतु धनावंटन के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-उप0प्रको0-203-2023(महाकुम्भ 2025/यातायात), दिनांक 20.06.2024, जो आपको सम्वोधित एवं राजस्व विभाग को पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की मानक मद-10 से निम्नलिखित विवरण के अनुसार एटीएस/स्पॉट उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था हेतु धनराशि रू0 14,69,69,500/- (रूपये चौदह करोड़ उनहत्तर लाख उनहत्तर हजार पांच सौ मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

एटीएस/स्पॉट उपकरण-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	योग	अनुमानित दर (रू0 में)	कुल अनुमानित धनराशि (रू0 में)
1	Amphibeous Boat	01	2,90,00,000/-	2,90,00,000/-
2	Rocket Boot for fast patrolling	04	19,00,000/-	76,00,000/-
3	Catamaran Pe Stable Pressure Boat	04	24,00,000/-	96,00,000/-
4	Heavy Duty All Terrain Vehicles	08	23,00,000/-	1,84,00,000/-
5	Boat Parking Floating Jetty 450 Sq.Mtr. (अरैल)	450	34,000/-	1,53,00,000/-
6	ATS Command Control Room 50 Sq. Mtr. (संगम जोन)	225	75,000/-	1,68,00,000/-

7	Vehicle Command Post	03	75,00,000/-	2,25,00,000/-
8	Drone (Night Vision Capability Camera)	06	10,00,000/-	60,00,000/-
9	Shinking Life Jackets	30	2,000/-	60,000/-
10	Loud Heller	06	15,000/-	90,000/-
11	Instant Deploy Rola Light	06	5,00,000/-	30,00,000/-
12	Instant Contineous Sky Lighting Drone	04	39,00,000/-	1,56,00,000/-
13	Binocular	20	15,000/-	3,00,000/-
14	Explosive Detection Kits	03	80,000/-	2,40,000/-
15	Remote operated wire cutter	06	90,000/-	5,40,000/-
16	Satelite Hand Sets	09	1,00,000/-	9,00,000/-
17	Field First Aid Dressing (FFD) Kits	45	20,000/-	9,00,000/-
18	Folding Stratchers	09	5,500/-	49,500/-
19	Oxygen Cylinder with accessories	09	10,000/-	90,000/-
	योग			**14,69,69,500/-**

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आगामी महाकुम्भ-2025 के अवसर पर तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/स्नानार्थियों की अत्यधिक भीड़ के दृष्टिगत आपदा से बचाव की पूर्व तैयारी/क्षमता निर्माण हेतु उक्त अनुमानित धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की मानक मद-10 से उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित एटीएस/स्पॉट उपकरणों/संसाधनों की व्यवस्था हेतु अनुमोदित धनराशि **रू0 14.69 करोड़ (रूपये चौदह करोड़ उनहत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

1. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020- NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईड़लाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

2. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर यातायात निदेशालय द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।

3. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग

वित्तीय नियमों के

अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

5. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व गृह विभाग/ए0टी0एस0 एवं स्पॉट मुख्यालय, उ0प्र0 का होगा।

6. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व गृह विभाग/ए0टी0एस0 एवं स्पॉट मुख्यालय, उ0प्र0 का होगा।

7. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

10. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।

12. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वितीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सञ्चालन एवं रख-रखाव गृह विभाग/ए0टी0एस0 एवं स्पॉट मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

14. राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनड़ीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

15. प्रश्नगत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्णरूप में व्यय किये जाने हेत नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस सबध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग

प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 14.69 करोड़ (रूपये चौदह करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal (राम केवल)
Date: 18-07-2024 15:57:27 विशेष सचिव

संख्याः- (1)/एक-10-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय
4- पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ।
5- पुलिस उप महानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ।
6- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
9- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
10- गृह (पुलिस) अनुभाग-7 ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
12- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-26/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1229
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1229
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2498-पुलिस महानिरीक्षक-ए0टी0एस0 , लखनऊ-01-Ats	वर्तमान प्रगामी	146900000 146900000	146900000 146900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	146900000 146900000	146900000 146900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ उनहत्तर लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ उनहत्तर लाख

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन